न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा (सवाई माधोपुर)

मु0न0:– 23/2019 तारीख रजू:– 08.07..2019 निर्णय दिनांक :– 30.09.2020

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. मानसिंह उर्फ लालसिंह पुत्र हरिनारायण सिंह उम्र 42 वर्ष, निवासी भेडोला
2. नवलसिंह पुत्र हरिनारायण सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी भेडोला
3. भरतसिंह दत्तक पुत्र भंवरसिंह उम्र 28 वर्ष निवासी भेडोला
4. भंवर लता पुत्री गोपाल सिंह उम्र 60 वर्ष निवासी भेडोला
5. मांगलता पत्नी भंवरसिंह उम्र 50 वर्ष निवासी भेडोला
6. मांगीबाई पत्नी हरिनारायण सिंह उम्र 81 वर्ष निवासी भेडोला
7. रघुवीर सिंह पुत्र गोपाल सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी भेडोला
8. सत्यनारायण पुत्र रामनाथ सिंह उम्र 70 वर्ष निवासी भेडोला
9. राजेन्द्र सिंह पुत्र गोपाल सिंह उम्र 55 वर्ष निवासी भेडोला
10. लक्ष्मण सिंह पुत्र गोपाल सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी भेडोला
11. हनुमान सिंह पुत्र गोपाल सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी भेडोला
12. यशोदा कंवर पत्नी गोपाल सिंह उम्र 85 वर्ष निवासी भेडोला

बनाम

1. जगमाल सिंह पुत्र हरिनारायण सिंह उम्र 45 वर्ष, निवासी भेडोला
2. राजेश सिंह पुत्र गोपाल सिंह उम्र 58 वर्ष निवासी भेडोला
3. राधेश्याम पुत्र रामनाथ सिंह उम्र 70 वर्ष निवासी भेडोला
4. तहसीलदार चौथ का बरवाडा लेण्ड होल्डर

वकील वादी:– श्री अजय शेखर दवे एड0

वादपत्र उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राजात

–:निर्णय:–

1. वादीगण ने एक वादपत्र उद्घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राजात इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है व सभी काश्तकार है जो ग्राम भेडोला तहसील चौथ का बरवाडा के स्थाई निवासी है। उभयपक्षो की पेतृक संपत्ति की भूमि खाता संख्या 95 आज भी समान हिस्सो में विभाजित है, जो हर पक्ष द्वारा उसके शेयर के अनुसार मौके पर काश्त की जा रही है। वादी संख्या 1 अपने पिता स्व. हरिनारायण सिंह के देहान्त के समय नाबालिग था, इसलिये उनके वारिसान के पुत्र के नाम के तौर पर घर में बोले जाने वाले नाम लालसिंह राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा दिया गया। जबकि वादी संख्या 1 का नाम स्कूल में मानसिंह अंकित था। इस प्रकार वादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालसिंह किन्तु अन्य दस्तावेजों जैसे मूलनिवास, पंचायत राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि में मानसिंह पुत्र हरिनारायण सिंह अंकित है। खाता संख्या 95 की भूमि खसरा नंबर 265, 266 ,267 , 268, व 513 रकबा 0.66 है0 संयुक्त स्वामित्व के तौर पर परिवारजनों द्वारा काश्त की जा रही है इसलिये मानसिंह के स्थान पर लालसिंह नाम अंकित हो जाने के कारण तथ्यों पर गौर नही किया गया। इसके बाद वादी संख्या 1 को के.सी.सी. व किसान सम्मान निधि योजना व मुआवजे आदि के समय नाम गलत अंकन होने की भूल सामने आई। वादी संख्या 1 ने दिनांक 20.02.2019 को उडद की फसल के मुआवजे के लिये आवेदन किया इसके पश्चात दिनांक 25.04.2019 को के.सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं में भी लालसिंह नाम का अंकन बाधक बना। इसलिये वादी संख्या 1 का नाम लालसिंह के स्थान पर मानसिंह दर्ज किये जाने पर ही वादी अपने खातेदारी अधिकार का सही उपयोग कर सकेगा।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Scanned with CamScanner

अतः उद्घोषणा इस आशय की फरमाये कि जमाबन्दी खाता संख्या 95 ग्राम भेडोला में अंकित लालसिंह खातेदार ही मानसिंह है। राजस्व रिकॉर्ड में लालसिंह पुत्र हरिनारायण के स्थान पर मानसिंह पुत्र हरिनारायण किया जाकर उसका अंकन किया जावे।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब दावा पेश किया जिसमें बताया कि वादी मानसिंह उर्फ लालसिंह दोनों एक ही व्यक्ति है। जो हमारे परिवार का सदस्य है तथा प्रतिवादी नंबर एक का खास भाई है। मानसिंह के बचपन का नाम लालसिंह था। जिसे घर पर प्यार से लालसिंह पुकारा करते थे जबकि स्कूल व अन्य सरकारी रिकॉर्ड में इसका नाम मानसिंह पुत्र हरिनारायण सिंह अंकित है। मानसिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालसिंह अंकित होने से भ्रम की स्थिति हो गई है, जिससे आधार व वोटर प्रमाण पहचान पत्र में भिन्न नाम होने से वादी को खातेदारी भूमि के कई लाभ व सुविधा नही मिल पा रही है। हमे इनका नाम मानसिंह संशोधित करने में एतराज नही है। अतः वादपत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड मे लालसिंह के बजाये मानसिंह संशोधित किया जाता है तो हमारी स्वीकारोक्ति है। अर्थात जवाब दावे में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने दावा स्वीकार करने पर अपनी सहमति दर्ज की है।

3. वादी संख्या 1 ने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आशय का भी पेश किया है कि मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालसिंह किन्तु अन्य दस्तावेजों जैसे मूलनिवास, पंचायत राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि में मानसिंह पुत्र हरिनारायण सिंह अंकित है। अतः मेरा नाम लालसिंह के स्थान पर मानसिंह दर्ज किये जाने पर ही मैं अपने खातेदारी अधिकार का सही उपयोग कर सकूंगा। वादी संख्या एक ने अन्य साक्ष्य के रूप में संलग्न दस्तावेजो में सरपंच ग्राम पंचायत भेडोला पंचायत समिति चोथ का बरवाडा का प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.19 भी संलग्न किया है जिसमें मानसिंह उर्फ लालसिंह नरूका निवासी भेडोला तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर के रहने वाला बताया है। इन्हें दोनों नामों से जाना जाता है। अन्य साक्ष्य दस्तावेजों में भामाशाह कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स,आधार कार्ड, 10वीं की अंकतालिका, मूलनिवासी प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकतालिका, पेनकार्ड आदि की छायाप्रति भी पत्रावली में प्रस्तुत किये है।

4. प्रतिवादी संख्या 4 (तहसीलदार चौथ का बरवाडा) ने अपना जबाब प्रस्तुत किया जिसमें जिसमें उल्लेख किया है कि नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 18.10.01 के द्वारा मृतक हरनारायण के बजाय नवलसिंह, जगमाल सिंह, लालसिंह पि0 हरनारायण, मांगीबाई पत्नी हरिनारायण हि. 1/4 के नाम स्वीकार हुआ। जमाबन्दी संवत् 2043–46 के खाता संख्या 213 पर नोट अंकित है। अतः वादी का नाम नामान्तकरण में गलत होने के कारण बिना नामान्तकरण खारिज किये दुरूस्त किया जाना उचित नहीं होगा।

5. वकील वादी की बहस सुनी गयी। विद्वान वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यो के आधार पर बहस में कथन किया कि वादी संख्या 1 अपने पिता स्व. हरिनारायण सिंह के देहान्त के समय नाबालिग था, इसलिये उनके वारिसान के पुत्र के नाम के तौर पर घर में बोले जाने वाले नाम लालसिंह राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा दिया गया। जबकि वादी संख्या 1 का नाम स्कूल में मानसिंह अंकित था। इस प्रकार वादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लालसिंह किन्तु अन्य दस्तावेजों जैसे मूलनिवास, पंचायत राशन कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि में मानसिंह पुत्र हरिनारायण सिंह अंकित है। खाता संख्या 95 की भूमि खसरा नंबर 265, 266 ,267 , 268, व 513 रकबा 0.66 है0 संयुक्त स्वामित्व के तौर पर परिवारजनों द्वारा काश्त की जा रही है इसलिये मानसिंह के स्थान पर लालसिंह नाम अंकित हो जाने

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner

के कारण तथ्यों पर गौर नही किया गया। इसके बाद वादी संख्या 1 को के.सी.सी. व किसान सम्मान निधि योजना व मुआवजे आदि के समय नाम गलत अंकन होने की भूल सामने आई। वादी संख्या 1 ने दिनांक 20.02.2019 को उडद की फसल के मुआवजे के लिये आवेदन किया इसके पश्चात दिनांक 25.04.2019 को के.सी.सी. व अन्य सरकारी योजनाओं में भी लालसिंह नाम का अंकन बाधक बना। इसलिये वादी संख्या 1 का नाम लालसिंह के स्थान पर मानसिंह दर्ज किये जाने पर ही वादी अपने खातेदारी अधिकार का सही उपयोग कर सकेगा। अतः उद्घोषणा इस आशय की फरमाये कि जमाबन्दी खाता संख्या 95 ग्राम भेडोला में अंकित लालसिंह खातेदार ही मानसिंह है। राजस्व रिकॉर्ड में लालसिंह पुत्र हरिनारायण के स्थान पर मानसिंह पुत्र हरिनारायण किया जाकर उसका अंकन किया जावे।

6. हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत रिकार्ड एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब दावा में दावा स्वीकार करने में सहमति प्रस्तुत की है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजात के आधार पर पाया गया कि वादी संख्या 1 के लालसिंह व मानसिंह दोनों एक ही व्यक्ति, वादी संख्या 1 के नाम है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा के द्वारा अग्रेषित पटवारी गिरदावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 05.02.2020 में खाता संख्या 95 में अंकित लाल सिंह का नाम हजफ कर मानसिंह किया जाना उचित बताया गया है। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 18.02.2020 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 97 दिनांक 18.10.2001, जिसके द्वारा मृतक हरनारायण के स्थान पर अन्य के साथ लाल सिंह का नाम अंकित हुआ, को खारिज करने की अभिशंषा की है। परन्तु मेरे विनम्र मत में बिना उक्त नामान्तरकरण संख्या 97 को रद्द किये बिना भी खाता संख्या 95 में अंकित लाल सिंह के स्थान पर मान सिंह किया जाना उचित है, क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अधीन दावा नामान्तकरण अपील के बजाय एक विस्तृत प्रकिया है और उक्त नामान्तरकरण में अंकित सभी खातेदार इस वाद में वादी या प्रतिवादी के रूप में मौजूद हैं, तथा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी रिकार्ड पर है। अतः मेरे विनम्र मत में ग्राम भेडोला में अंकित लाल सिंह खातेदार ही मानसिंह है।

—:आदेश:—

अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर यह उद्घोषणा की जाती है कि जमाबंदी सं0 2073—2076 ग्राम भेडोला खाता संख्या 95 में अंकित लालसिंह खातेदार ही मानसिंह है, साथ ही तहसीलदार चौथ का बरवाडा को आदेश दिया जाता है कि उक्त राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 95 में लालसिंह पुत्र हरिनारायण के स्थान पर मानसिंह पुत्र हरिनारायण दुरूस्त किया जावे। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with CamScanner